भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1044
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कार्य दिवस

1044. श्री राजीव राय :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कार्य करने के दिनों की औसत संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि देश में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रतिवर्ष निर्धारित अंतराल पर अवकाश होता है और न्याय-निर्णयन के लिए बड़ी संख्या में लंबित मामलों के बावजूद सरकारी विभागों की तुलना में कम कार्य होता है ;

(ग) क्या सरकार लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए न्यायालयों के लिए एक वर्ष में न्यूनतम अनिवार्य कार्य दिवसों की संख्या निर्धारित करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालयों में कार्य दिवस/घंटे और छुट्टियों की अवधि संबद्ध न्यायालयों द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित होती है । संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा अधिसूचित उच्चतम न्यायालय नियम 2013, उच्चतम न्यायालय के कार्य दिवसों को विनियमित करते हैं । इन नियमों में उपबंध है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि सात सप्ताह से अधिक नहीं होगी । इन नियमों में यह और उपबंध है कि न्यायालय और न्यायालय के कार्यालयों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि और छुट्टियों की संख्या ऐसी होगी, जो मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा निर्धारित और राजपत्र में अधिसूचित की जाए, जो एक सौ तीन दिन से अधिक न हो (छुट्टियों में और न्यायालय की छुट्टियों के दौरान न आने वाले रविवार के सिवाए) । उच्चतम न्यायालय

नियम, 2013 का, तारीख 05 नवंबर 2024 को अधिसूचित उच्चतम न्यायालय (द्वितीय संशोधन) नियम, 2024 के द्वारा और संशोधन किया गया, जिसमें उपबंध है कि न्यायालय और न्यायालय के कार्यालयों के लिए आंशिक न्यायालय कार्य दिवसों की अवधि और छुट्टियों की संख्या ऐसी होगी, मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा निर्धारित और राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी, जो रविवार के सिवाए, पचानवे दिनों से अधिक नहीं होगी ।

(ग) से (घ) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है । यद्यपि न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है, फिर भी केंद्रीय सरकार मामलों के शीघ्र निपटारे और लंबित मामलों में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायिक प्रणालियों में लंबित मामलों और मुकदमों के चरणबद्ध तरीके से निपटान के लिए न्यायपालिका की सहायता के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है । इसके लिए विभिन्न रणनीतिक पहलों, जैसे कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार, न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि और उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में रिक्त पदों को भरना, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, पुराने और अप्रचलित कानूनों को निरस्त करना, विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटारे की पहल और वैकल्पिक विवाद समाधान पर जोर, आदि, सम्मिलित हैं ।

****